

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 468 / 2015

दायर दिनांक 09.09.2015

कालु लाल	उनवान	
	बनाम	सुरेश कुमार

वाद अन्तर्गत धारा,,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 21.09.2022

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई, वादी स्वयं उपस्थित। वकील वादी ने उपस्थित आकर वाद पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन कर नोट प्रेस किया। अतः वकील वादी के निवेदन अनुसार वाद नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(भावना सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

